रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 2000 (कार्तिक 27, 1922)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 2000 (KARTIKA 27, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 2000

अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम 2000।

सं० पी० एस० बी०/स्टाफ/ओ० एस० आर०—99/2000—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम 1984, 1995 में यथा संशोधित का अधिक्रमण करते हुए पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक बोर्ड भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता

ये विनियम, निम्नलिखित के सिवाय, बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे :—

(i) बैंक का अध्यक्ष;

(ii) बैंक का प्रबंध निदेशक;

(iii) पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो,

(iv) बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल अधिकारी कर्मचारी;

(v) वे, जो आकस्मिक रोजगार में हैं या जिन्हें आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है;

(vi) पंचाट कर्मचारी (अवार्ड स्टाफ);

(vii) संविदागत अधिकारी;

3. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "बैंक" से पंजाब एण्ड सिंध बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा शक्ति प्रदत्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(क) "गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है;

(i) किसी भी रूप में कोई रोजगार, जिसमें किसी कंपनी (बैंकिंग कम्पनी सहित) सहकारी समिति, फर्म में एजेंट या व्यापार वाणिज्यिक, वित्तीय या व्यावसायिक कारोबार में लगा व्यक्ति शामिल है और इसमें ऐसी कम्पनी (बैंकिंग कम्पनी सहित) का निदेशक और ऐसी फर्म की भागीदारी भी शामिल है, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व वाले या नियंत्रण वाले किसी निर्गमित निकाय के अधीन रोजगार शामिल नहीं है;

(ii) उन मामलों में, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदारी के रूप में, व्यवसाय शुरू करना, जिनके संबंध में व्यक्ति के पास :—

(क) कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है और वे मामले, जिनके संबंध मे व्यवसाय शुरू किया जाना है या किया जाता है, उनके सरकारी ज्ञान या अनुभव से संबंधित है, या

(ख) व्यावसायिक योग्यता है किन्तु, वे मामले, जिनके संबंध में व्यवसाय शुरू किया जाना है, इस तरह के हैं, जिनसे उसकी पूर्व सरकारी हैसियत की वजह से उसके ग्राहकों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है, या

(ग) उसे ऐसा कार्य शुरू करना है, जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संबंध या सम्पर्क करना शामिल है

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "निगमित समिति में रोजगार" अभिव्यक्ति में अध्यक्ष (प्रेजीडेंट), सभापति (चेयरमैन), प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि, उस समिति में चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, जैसा कोई पद धारित करना, चाहे चयनित हो या अन्यथा शामिल है।

(ङ) "अधिकारी कर्मचारी" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो बैंक में पर्यवेक्षक, प्रशासक या प्रबंधकीय पद पर रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसे सेवानिवृत्ति के समय बैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या जिसने अधिकारी के रूप में कार्य किया हो चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो।

4 सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार स्वीकार करना

(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले अधिकारी कर्मचारी के पद पर रहा हो और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने के पहले निजी क्षेत्र में कोई कार्य स्वीकार करने का इच्छुक हो तो उसे इस संबंध में बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी।

(2) उप विनियमन (3) के प्रावधानों के अध्यधीन, बैंक किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आवश्यक हों, किसी व्यक्ति को आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट निजी क्षेत्र मे कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है, या मना कर सकता है, जिसका कारण आदेश में रिकार्ड किया जाएगा।

(3) किसी व्यक्ति को उप विनियमन (2) के अंतर्गत कोई व्यावसायिक रोजगार अपनाए जाने की अनुमति देने या इस प्रकार की अनुमति से मना करने पर बैंक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा नामत:

(क) अपनाए जाने वाले प्रस्तावित रोजगार की प्रकृति तथा नियोक्ता के पूर्ववृत्त ;

(ख) क्या अपनाए जाने वाले रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की हो सकती है कि बैंक के साथ उसका संघर्ष हो;

(ग) क्या अधिकारी कर्मचारी, जबकि वह सेवा में था, ने उस नियोक्ता के साथ, जिसके तहत उसे कार्य करना प्रस्तावित है, कोई इस प्रकार का लेन देन किया था जिससे इस प्रकार का शक होने का तर्क संगत आधार बने कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे नियोक्ता के प्रति पक्षपात दर्शाया हो;

(घ) क्या प्रस्तावित व्यावसायिक रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की है जिसमें बैंक के साथ संबंध या संपर्क रहेगा;

(ङ) क्या उसके व्यावसायिक रोजगार इस प्रकार के हैं जिसमें बैंक के तहत उसकी पूर्व आधिकारिक स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोक्ता, अनुचित लाभ उठा सकता है;

(च) प्रस्तवित नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली परिलब्धियां और :

(छ) कोई अन्य संबद्ध कारक।

4. जहां उप विनियमन (2) के अंतर्गत किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिनों की अवधि के भीतर यदि बैंक आवेदन पर अनुमति नामंजूर नहीं करता है या आवेदक को इस नामंजूरी के बारे में सूचित नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदन पत्र के संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर दी है

बशर्ते कि, किसी ऐसे मामले में जहां कि आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी गई है और बैंक के लिए उससे स्पष्टीकरण या और सूचना मांगना आवश्यक हो तो साठ दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को ऐसी त्रुटि आवेदक ने दूर कर दी या पूर्ण सूचना दे दी।

5. जहा बैंक किसी शर्त के अध्यधीन आवेदन किए गए प्रयोजन की अनुमति प्रदान करता है या ऐसी अनुमति देने से मना करता है तो आवेदक बैंक से ऐसे आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ऐसी किसी शर्त या मनाही के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और बैंक उस पर ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे;

बशर्ते कि, इस उप विनियम के तहत ऐसी शर्त को रद्द करने वाला आदेश या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुमति प्रदान करने वाले आदेश के अलावा ऐसा कोई आदेश नही दिया जाएगा जिससे कि अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओ का अवसर न प्रदान किया जा सके।

6. इस विनियम के तहत बैंक द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश को संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

यू. एस. कोहली
उप-महाप्रबंधक (कार्मिक)

PUNJAB & SIND BANK

New Delhi, the 18th October 2000

OFFICER EMPLOYEES (ACCEPTANCE OF JOBS IN PRIVATE SECTOR CONCERNS AFTER RETIREMENT) REGULATION, 2000

No. Staff/OSR/2000.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) and in **supercession of Punjab & Sind Bank of India Officer Employees** (Acceptance of job in Private Sector Concerns after retirement) Regulation 1984, as ammended in 1995, the Board of Directors of the Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :—

(1) These Regulations may be called **Punjab & Sind Bank** Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. APPLICATION :—

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the bank except :—

(i) Chairman of the bank;

(ii) Managing Director of the bank;

(iii) Whole time Director, if any;

(iv) Officer Employees covered under Bank's (Employees) Pension Regulation, 1995;

(v) Those who are in casual employment or paid from contingency;

(vi) The Award Staff;

(vii) Officers on contract.

DEFINITION :—

In these Regulations unless the context otherwise requires:—

(a) 'Bank' means Punjab & Sind Bank;

(b) 'Board' means the Board of Directors of the Punjab & Sind Bank;

(c) 'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;

(d) 'Employment in private concerns' means :—

(i) an employment in any capacity including that of an agent. under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect which the person :—

(a) has not professional qualification and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(c) has to undertake work involving liasion or contact with offices or officers of the bank.

Explanation :— For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like by whatever name called in such society.

(e) 'Officer employee' means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the bank or any other person who was appointed and/or has functioned as an officer of the bank at the time of his retirement by whatever designation called.

4. ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT AFTER RETIREMENT :—

(1) If a person who immediately before his retirement was holding the post of an officer employee and wishes to aceept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the bank to such acceptance.

(2) Subject to the provision of sub regulation (3), the bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.

(3) In granting or refusing permission under sub regulation (2) to a person for taking up any commercial employ-

ment the bank shall have regard the following factors, namely :—

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring into conflict with the bank;

(c) whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such person had shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liasion or contact work with bank;

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

(f) the emoluments offered by the proposed employer; and

(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the bank shall be deemed to have granted the permission applied for;

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the bank to seek further clarification or information from him, the period of sixty days shall be counted from date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the bank may such orders thereon as it deems fit;

Provided that no order other than an order canceling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub regulation without giving the person making representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) Every order passed by the bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

U. S. KOHLI
Dy. General Manager (Personnel)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000

रक्षा मंत्रालय

छावनी मंडल, देहूरोड, दिनांक 15 नवम्बर, 2000

का. नि. आ. संख्या 60/आक्ट्राय बाईलाज़--जैसा कि छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 284 के अनुसार छावनी मंडल देहूरोड द्वारा देहूरोड छावनी (अप्रतिसंदेय चुंगी) उपनियम 1975 में संशोधन करने हेतु उपनियमों का मसौदा, छावनी मंडल की सार्वजनिक सूचना संख्या 60/बाईलाज़ दिनांक 7 सितम्बर 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था, एवं इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से 60 दिनों के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जैसा कि उक्त सार्वजनिक सूचना छावनी मंडल के सूचना पटल पर 7 सितम्बर, 2000 को लगा दी गई थी;

और जैसा कि छावनी मंडल, देहूरोड को निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर जनता से कोई भी आपत्तियाँ अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा 282 की उपधारा (3) एवं धारा 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की विगत अनुमति से, एततद्वारा छावनी मंडल देहूरोड, निम्नलिखित उपनियम बनाता है,--

1. (1) यह उपनियम, देहूरोड छावनी (अप्रतिसंदेय चुंगी) संशोधन उपनियम 2000 कहलाएंगे।

(2) यह उपनियम केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. देहूरोड छावनी (अप्रतिसंदेय चुंगी) उपनियम 1975 में,--

(क) उपनियम संख्या 10 में,--

(i) खण्ड (ए) में, ''संक्रमण पास शुल्क रु. 0.50,'' शब्दों के स्थान पर ''संक्रमण पास शुल्क रु. 5.00'' शब्द व अंक रखे जाएँ और ''ए स्कार्ट के बिना'' शब्दों के स्थान पर ''चूंगी की रकम के बराबर प्रत्यर्पनिय जमा राशि '' शब्द रखें जाएँ;

(ii) खण्ड (डी) में, ''एस्कार्ट के अधीन'' व ''चुंगी अधिकारी द्वारा दिए गए एस्कार्ट के अधीन'' शब्दों को निकाल दिया जाए: ''शुल्क रु. 2.00'' शब्दों व अंक के स्थान पर ''शुल्क रु. 20.00'' शब्द व अंक रखे जाएँ और ''एस्कार्ट'' शब्द के स्थान पर ''अधिकारी'' शब्द रखा जाए;

(ख) प्ररूप 4 में, ''एस्कार्ट के बिना'' शब्दों के स्थान पर ''चुंगी की रकम के बराबर प्रत्यर्पनिय जमा राशि'' शब्द रखे जाएँ;

(ग) प्ररूप 5 में, ''एस्कार्ट के बिना'' शब्दों के स्थान पर ''चुंगी की रकम के बराबर प्रत्यर्पनिय जमा राशि'' शब्द रखे जाऐं और ''रु. 0.50,'' शब्द व अंक के स्थान पर ''रु. 5.00'' शब्द व अंक रखे जाएँ;

(घ) प्ररूप 6 में, ''एस्कार्ट के साथ'' शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी आते हों, ''संक्रमण पास के साथ'' शब्द रखे जाएँ;

(च) प्ररूप 7 में, ''एस्कार्ट के साथ लिखित अनुमति'' शब्दों के स्थान पर ''संक्रमण पास के साथ लिखित अनुमति'' शब्द रखें जाएँ, ''रु. 2.00 (रुपये दो मात्र)'' शब्द व अंक के स्थान पर ''रु. 20.00 (रुपये बीस मात्र)'' शब्द व अंक रखें जाएँ और ''एस्कार्ट के साथ लिखित अनुमति की रसीद'' शब्दों के स्थान पर ''संक्रमण पास के साथ लिखित अनुमति की रसीद'' और ''लिखित अनुमति के तौर पर रु. 2.00 प्राप्त किए'' शब्द व अंक के स्थान पर ''संक्रमण पास के तौर पर रु. 20.00 प्राप्त किए'' शब्द व अंक रखे जाएँ;

(छ) देहूरोड छावनी के चुंगी के लिए स्थायी आदेशों के आदेश संख्या 16 में,--

(i) उपादेश (3) में, ''रु. 2.00,'' शब्द व अंक के स्थान पर ''रु. 20.00'' शब्द व अंक रखे जाएँ;

(ii) उपादेश (4) में, ''चुंगी अधिकारी द्वारा दिए गए एस्कार्ट के साथ'' शब्दों को निकाल दिया जाए;

(iii) उपादेश (6) में, खण्ड (सी) में, ''एस्कार्ट के साथ'' शब्दों को निकाल दिया जाए;

(iv) उपादेश (8) में, ''एस्कार्ट शुल्क'' शब्दों के स्थान पर ''संक्रमण शुल्क'' शब्दों को रखा जाए;

(v) उपादेश (8) में, खण्ड (डी) व (ई) में, ''रु.0.50,'' शब्द व अंक, जहाँ कहीं भी आते हों, के स्थान पर ''रु.5.00'' शब्द व अंक रखे जाएँ;

(vi) उपादेश (9) में, ''बोर्ड एस्कार्ट'' शब्दों के स्थान ''डिपाजिट'' शब्द रखा जाए;

(vii) उपादेश (9) में खण्ड (ए) में, ''रु. 0.50'' शब्द व अंक के स्थान पर ''रु. 5.00'' शब्द व अंक रखे जाएँ;

(ज) प्ररूप संख्या 13 में, ''रु. 0.50'' शब्द व अंक, जहाँ कहीं भी आते हों, के स्थान पर ''रु. 5.00'' शब्द व अंक रखे जाएँ;

(झ) अनुसूची ''डी'' में, खण्ड ''बी'' में, उपखण्ड (2) में, ''उर्वरक के रूप में प्रयुक्त रसायन, जैसे कि नाईट्रैट आदि जो कृषि प्रयोजनों के लिए आयातीत किया जाता है और कृषि विभाग के प्राधिकारी द्वारा इस रूप में प्रमाणित किया जाता है'' शब्दों के स्थान पर ''उर्वरक के रूप में प्रयुक्त रसायन, जैसे कि नाईट्रैट आदि जो कृषि प्रयोजनों में वास्तव इस्तेमाल के लिए और किसानों को बिक्री हेतु आयातीत किया जाता है'' शब्द रखे जाएँ।

एस आर नैयर

छावनी अधिशासी अधिकारी

देहूरोड, छावनी मंडल देहूरोड

MINISTRY OF DEFENCE

CANTONMENT BOARD

Dehuroad, the 15th November 2000

S.R.O. No. 60/Octroi Bye-laws—WHEREAS a draft of the bye-laws to amend the Dehu Road Cantonment (Non-Refundable Octroi) Bye-laws 1975 was published with the Cantonment Board's Public Notice No. 60/Bye-laws dated the 7th September 2000 as required by section 284 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) for inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby within the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notice;

AND WHEREAS the said notice was put up on the Cantonment Notice Board on the 7th September, 2000;

AND WHEREAS no objections and suggestions were received from the public by the Cantonment Board, Dehu Road within the expiry of the said period of sixty days;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 282 and section 283 of the said Act, the Cantonment Board, Dehu Road, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following bye-laws, namely :—

1. (1) These bye-laws may be called the Dehu Road Cantonment (Non-Refundable Octroi) Amendment Bye-laws, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Dehu Road Cantonment (Non-Refundable Octroi) Bye-laws, 1975:—

(a) in bye-law 10,—

(i) in clause (a), for the words and figure "Transit pass fee of Re. 0.50", the words and figure "Transit pass fee of Rs. 5.00" shall be substituted and for the words "without escort", the words "with refundable deposit equivalent to octroi amount" shall be substituted;

(ii) in clause (d), the words "under escort" and "under escort provided by the octroi officer" shall be omitted, for the words and figure "Fee of Rs. 2.00", the words and figure "Fee of Rs. 20.00" shall be substituted, and for the word "escort", the word "officials" shall be substituted;

(b) in form No. IV, for the words "without Escort", wherever they occur, the words "with refundable deposit equivalent to octroi amount" shall be substituted;

(c) in Form No. V, for the words "without an escort", the words "with refundable deposit equivalent to octroi amount" shall be substituted and for the words and figure "Re. 0.50", the words and figure "Rs. 5.00"shall be substituted;

(d) in Form No. VI, for the words "with Escort", wherever they occur, the words "with Transit Pass" shall be substituted;

(e) in Form No. VII, for the words "Written permission with Escort" the words "Written permission with Transit Pass" shall be substituted, for the words and figure "Rs. 2.00 (Rupees two only)", the words and figure "Rs. 20.00 (Rupees twenty only)" shall be substituted, for the words "Receipt for written permission with Escort", the words "Receipt for written permission with Transit Pass" shall be substituted and for the words and figure "Received Rs. 2/- as written permission fees", the words and figures "Received Rs. 20/- as transit fees" shall be substituted;

(f) In Order No. 16 of the Dehuroad Cantonment Octroi standing orders:—

(i) in sub-order (3), for the word and figure "Rs. 2.00", the word and figure "Rs. 20.00" shall be substituted;

(ii) in sub-order (4), the words "in company of the escort provided by the octroi officer" shall be omitted;

(iii) in sub-order (6), clause (c), the words "in company of the escort" shall be omitted;

(iv) in sub-order (8), for the words "escort fee", the wordss "transit fee" shall be substituted;

(v) in sub- order (8), clause (d) and clause (e), for the word and figure "Re. 0.50", wherever they occur, the word and figure "Rs. 5.00" shall be substituted;

(vi) in sub-order (9), for the words "Board Escort", the word "deposit" shall be substituted;

(vii) in sub-order (9), clause (a), for the word and figure "Re. 0.50", the word and figure "Rs. 5.00" shall be substituted;

(g) in Form No. XIII, for the word and figure "Re. 0.50", wherever they occur, the word and figure "Rs. 5.00" shall be substituted;

(h) in Schedule 'D', in item No. (b), sub-item (2), for the words "Chemicals used as fertilizers such as nitrate etc., imported for agricultural purposes and certified as such by an officer of the Agricultural Department" the word "Chemicals used as fertilizers such as nitrate etc., imported for actual use in agricultural purpose and for sale to farmers" shall be substituted.

S.R. NAYYAR

Cantonment Executive Officer

Dehu Road Cantonment Board

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000